कार्यालय जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सलूम्बर (राज.)

क्रमांक:प.03() सहायता/कृषि आदान-अनुदान/2025/469 दिनांक: 29/07/2025

प्रेषिति,

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः सलूम्बर जिले के तहसील सराडा में अभाव संवत् 2079 (रबी–ओलावृष्टि) में वंचित रहे पात्र प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु बजट आवंटन बाबत्।

प्रसंगः

1-आपका पत्र क्रमांक एफ.1(14)आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/मार्गदर्शन/2024/राजकाज-15765132 दिनांक 12.06.2025

2-आपका पत्र क्रमांक एफ.2(9)(आ.प्र.एवं सहा./लेखा/बजट/2025-26/राजकाज-14545448 दिनांक 03.04.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि सलूम्बर जिले की तहसील सराडा में संवत् 2079 में (रबी–ओलावृष्टि) फसल खराबे के प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से आज दिनांक तक लम्बित है। इस सम्पूर्ण प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं वर्तमान में अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार है:

1. **प्रारम्भिक कार्यवाही (जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा):** सलूम्बर के नवीन जिला गठन से पूर्व, राहत भुगतान की कार्यवाही श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी।
2. **प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिरोध:** इसी मध्य दिनांक 06.08.2024 को सलूम्बर जिले की DMIS पोर्टल पर मैपिंग होने एवं डाटा उदयपुर से पृथक होने के कारण, उक्त कृषकों की सूचियां दोनों ही जिलों के पोर्टल पर प्रदर्शित होना बंद हो गईं।
3. **विभागीय निर्देश एवं वर्तमान स्थिति:** आपके प्रासंगिक पत्र (क्रमांक-1) द्वारा यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि नवगठित जिलों से सम्बंधित पुराने प्रकरणों सहित समस्त भुगतान की कार्यवाही अब सम्बंधित नवगठित जिला कलक्टर द्वारा ही की जाएगी।
4. **अद्यतन बजट मांग:** आपके प्रासंगिक पत्र (क्रमांक-2) द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में, इस कार्यालय द्वारा सराडा वंचित रहे पात्र कृषकों के भुगतान हेतु नवीन प्रशासनिक स्वीकृतियां तैयार की गई हैं। प्रभावित कृषकों को शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु निम्नानुसार बजट मांग सादर प्रेषित है:

मद/गतिविधि के लिये संवत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों की संख्या / राशि	इस स्वीकृति में लाभार्थियों की संख्या (AS No.)	इस स्वीकृति में लाभार्थियों की राशि (रु.)	मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की संख्या / राशि
1866	0	62 (AS/AGRI/2079/SAL/0009849)	2,82,630	0
		1693 (AS/AGRI/2079/SAL/0009850)	43,99,010	0
		1 (AS/AGRI/2079/SAL/0009851)	3230	0
		9 (AS/AGRI/2079/SAL/0009853)	2,27,460	0
		101 (AS/AGRI/2079/SAL/0009854)	3,73,030	0
कुल		1866	52,85,360	0

विलम्ब का कारण: नवीन जिला सलूम्बर के गठन उपरान्त DMIS पोर्टल पर डाटा हस्तान्तरण एवं प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिरोध के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कृषकों को विगत तीन वर्षो से लम्बित कृषि आदान अनुदान का भुगतान करने हेतु उपरोक्त राशि ₹52,85,360/- ,बाबन **लाख पिच्यासी हज़ार** तीन **सौ** साठ **रुपये मात्र)** का बजट आवंटन इस कार्यालय को कराने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
अति. जिला कलक्टर
सलूम्बर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
2. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

अति. जिला कलक्टर
सलूम्बर

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ.2(9)()आ.प्र.एवं सहा./लेखा/बजट/2025–26/ दिनांक

समस्त
जिला कलक्टर (सहायता)
राजस्थान।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में एसडीआरएफ मद में डीएमआईएस पोर्टल पर बजट आवंटन की प्रेषित की जा रही मांगों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पोर्टल डीएमआईएस पर एसडीआरएफ मद में चालू वर्ष में विभिन्न गतिविधियों के लिये प्रेषित किये जा रहे मांगपत्रों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष–2025–26 एवं भविष्य के लिये निम्न दिशानिर्देश जारी किये जाते हैः–

1. पूर्व में प्राप्त समस्त मांगपत्रों को पोर्टल पर लौटाया जा रहा/गया है। पूर्व की अवधि की बकाया मांग के लिये मांगपत्र 30–04–2025 तक डीएमआईएस पोर्टल पर आवश्यक रुप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उसके बाद पुरानी अवधि की कोई मांग स्वीकार नहीं होगी।
2. वित्त वर्ष 2025–26 एवं भविष्य में किये जाने वाले बजट आंवटन का 1 माह की अवधि में आहरण एवं भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि पीडित व्यक्ति को तत्काल सहायता दी जाकर राहत प्रदान की जा सके। यदि आवंटित बजट का आहरण एवं भुगतान समय पर नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।
3. किसी गतिविधि /आपदा/खराबे के लिये प्रेषित की जा रही मांग के साथ प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रुप से संलग्न करावें, जिसमें उस गतिविधि/ मद में अब तक की गई मांग, पूर्व में किये गये आंवटन के विरुद्व व्यय तथा बकाया की स्थिति का उल्लेख हो। स्वीकृति से पूर्व एसडीआरएफ मानदण्डों व विभागीय दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा इसका उल्लेख स्वीकृति में आवश्यक रुप से किया जावे।
4. प्रायः यह देखा गया है कि जिला कार्यालयों द्वारा आवंटित बजट राशि का आहरण/भुगतान तुरन्त न किया जाकर काफी समय में बिल आहरित किया जाता है।। जिससे व्यय का अनुपात प्रभावित होता है। वित्तीय व[illegible] में बिल भेजे जाने पर लाभार्थी के खातों में राशि अन्तरित नहीं हो पाती [illegible] आगामी वर्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.04.03 10:12:34 IST
Reason: Approved

बजट की पुनः मांग की जाती है। अतः डीएमआईएस पोर्टल पर बजट की मांग उन्हीं प्रकरणों की भेजी जावे जिनकी सभी औपचारिकताओं की पूर्तिया कार्यालय स्तर पर की जा चुकी है।

5. प्रत्येक स्वीकृति में यह अंकन आवश्यक रुप से किया जावे कि घोषित की गई किसी भी आपदा के पात्र लाभार्थियों में से लाभ वितरण एवं अवशेष रहे लाभार्थियों की क्या स्थिति है इस हेतु प्रत्येक स्वीकृति में निम्नानुसार सूचना सम्मिलित कर प्रेषित करावें :—

मद / गतिविधि के लिये सवत् / अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद / गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों		मद / गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभा र्थीयों की		मद / गतिविधि में अवशेष लाभार्थीयों की	
	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.
1	2	3	4	5	6	7

नोटः—अवशेष प्रकरणों में देरी का कारण का उल्लेख भी किया जावे।

आपके द्वारा प्रेषित मांगपत्र पर आंवटित बजट के उपयोग न होना वित्तीय नियमों में अनियमितता की श्रेणी में आता है। तथा मदों में होने वाली बचतों के लिए महालेखाकार कार्यालय तथा विधानसभा को अवगत कराना होता है। साथ ही आवंटित राशि का व्यय न होने पर अगले वित्तीय वर्ष में पुनः राशि की मांग की जाती है। अतः चालू वर्ष में अब राशि की मांग प्रेषित करते समय उपरोक्त निर्देशों को पालना सुनिश्चित की जावे।

(भगवत सिहं)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. समस्त प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्ध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,जयपुर।
2. समस्त अधिकारी / कर्मचारी लेखा(बजट)शाखा, आपदा प्रबन्ध सहा0 विभाग,जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.04.03 10:12:34 IST
Reason: Approved

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सलूंबर

क्रमाक: F 03()/RELIEF/AGRIINPUTSUBSIDY/2079/2025 दिनाक: 24/07/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नबर: AS/AGRI/2079/SAL/0009851

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत 2079 के प्रभावित कृषको हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत् ।

राज्य सरकार दवारा जारी क्रमाक 4617-624 दिनाक 31.03.2023 दवारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव सवत 2079 (रबी II -2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एव नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर दवारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशो की अनुपालना मे निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है:-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
सराडा	1	Other Than SMF	75%-100%	3230
योग	**1**			**3230**

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 मे कृषको हेतु 2245-02-114-(10)-02-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
सलूंबर

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एव सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, ...
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबधन एव सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वितीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद..................
6. अति. जिला कलक्टर......................
7. तहसीलदार ....
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी..........................
9. निजी सहायक, जिला कलक्टर.........................
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
सलूंबर

Signature valid
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2025.07.25 11:53:42 IST
Reason: SelfAttested